राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 438/2023

दारा सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर (राज.)।
3. जिला कलक्टर, जिला अजमेर (राज.)।
4. कार्यालय तहसीलदार (भू–अभिलेख), तहसील पुष्कर, जिला अजमेर (राज.) जरिये तहसीलदार।
5. गजराज डांगी वर्तमान में पटवारी, पटवार मण्डल, किशनपुरा, पुष्कर, जिला अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त टेलर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से : श्री उमाशंकर पाण्डे, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्ड़ल, पुष्कर, तहसील पुष्कर, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण पटवार मण्ड़ल, किशनपुरा, पुष्कर, अजमेर से पटवार मण्ड़ल, पुष्कर, अजमेर किया गया है, जो अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से स्थानान्तरण किया गया है और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.01.2023 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्ड़ल, किशनपुरा, तहसील पुष्कर,

अजमेर किया गया है, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर दिनांक 15.01.2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.01.2023 के द्वारा किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 5 माह की अल्पावधि में ही कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य आदेश दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक–1ए व 1बी) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 व 18.01.2023 सही व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। अपीलार्थी को दिनांक 14.01.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में तथा दिनांक 18.01.2023 के द्वारा उसे पदस्थापित किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता दर्शित नहीं होती है। जहां तक स्थानान्तरण प्रतिबंध के दरम्यान स्थानान्तरण किए जाने का संबंध है। आदेश दिनांक 18.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है बल्कि उसे पदस्थापित किया गया है। अतः अपीलार्थी के अपील में कोई बल नहीं है। इसलिए अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवार मण्ड़ल, पुष्कर, तहसील पुष्कर, अजमेर में कार्यरत है। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 18.01.2023 स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध लगने के बाद जारी किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 18.01.2023 आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 के संदर्भ में जारी किया गया है ना कि नए सिरे से स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया। चूंकि दिनांक 18.01.2023 आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि आदेश दिनांक 14.01.2023 द्वारा किए गए स्थानान्तरण आदेश से प्रभावित निम्न पटवारियों का पदस्थापन किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग

को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य